UPSI040452492025

न्यायालय **7th Additional Civil Junior Devision, Sitapur**
पीठासीन अधिकारी-**(Anshuman Vikram Singh), (**उ०प्र०न्यायिक सेवा**)-UP04821**
CIS-30855/2025

सरकार –––––अभियोजन

बनाम

1. सुखदेव प्रसाद पुत्र बैजूराम
2. राम बिलास पुत्र सुखदेव प्रसाद
3. ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई पत्नी सुखदेव प्रसाद

सर्व निवासीगण ग्राम महमदपुर, थाना संदना, जिला सीतापुर

––––––अभियुक्तगण

मु०अ०सं०– 658/2022
अं०धारा– 323, 324, 504, 506
भा०द०सं०
थाना–संदना
जिला– सीतापुर।

दिनाँक एवं घटनाक्रम

क्रम संख्या	दिनाँक	घटना/कार्यवाही
1	16.12.2022	एफ०आई०आर० पंजीकृत
2	26.09.2025	वाद पंजीकृत
3	23.03.2026	अभियुक्त पर आरोप विरचित किया गया।
4	08.07.2026	बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा– 313 दं०प्र०सं० अंकित
5	25.07.2026	निर्णय
6	निष्कर्ष	दोषमुक्त

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई के विरूद्ध मु०अ०सं०–658/2022, अन्तर्गत धारा– 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, थाना– संदना, जिला सीतापुर के तहत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई के विचारण हेतु इस न्यायालय में संस्थित हुआ।

Digitally signed by Anshuman Vikram Singh
Date: 2026.07.25 16:43:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2022 को समय करीब रात 8 बजे वादी मुकदमा का भतीजा जीतू पुत्र छोटक्के गाँव में सुखदेव पुत्र बैजू के घर के सामने बाहर वाली नाली में पेशाब कर रहा था तभी विपक्षी सुखदेव की पत्नी सुखदेई आकर गन्दी गन्दी गालियां देने लगी और इतने में विपक्षी सुखदेव, राम विलास व सुखदेई बांके से जीतू का कान काट दिया व राम विलास ने डण्डे से छोटक्के के सिर में मार दिया, जिससे छोटक्के घायल हो गया। विपक्षी ने भागते हुए जान से मारने की धमकी दी है।

3. उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई के विरूद्ध मु०अ०सं०–658/2022, अन्तर्गत धारा– 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, थाना– संदना, जिला सीतापुर में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया।

4. मामले की विवेचना पुलिस द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहान के बयान अंकित किये। दौरान विवेचना अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई की संलिप्तता पाते हुये विवेचना पूरी कर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनाकं–23.03.2026 को अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई के विरुद्ध धारा– 323, 324, 504, 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराया गया–

क्रम संख्या	साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम
1	पी०डब्लू० 1	मैकू
2	पी०डब्लू० 2	छोटक्के
3	पी०डब्लू० 3	जीतू

7. अभियोजन साक्ष्य दिनांक–25.06.2026 को समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दर्ज किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को झूठ होने का कथन किया। अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान पर कोई कथन नहीं किया गया है। मुकदमा रंजिशन चलना कहा है तथा अतिरिक्त कथन करने से इनकार किया है।

8. अभियोजन प्रपत्र लिखित प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क 1 डाला गया है।

9. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई पर लगाये गए आरोप के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 1 मैकू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 4 वर्ष पहले की है। तारीख मुझे नहीं

याद है, ठंडी का समय था। रात के लगभग 8 बजे थे, मेरा भतीजा जीतू घर के बाहर किसी से बात कर रहा था, अंधेरा हो गया था, गाँव के कुछ लड़के दौड़ रहे थे। उन्हीं में से किसी का धक्का जीतू को लग गया जिससे जीतू नीचे शीशे के टुकड़े पर गिर गया, जिससे उसके कान के पास चोट आ गई थी। उसे बचाने के लिए जब मेरा भाई छोटक्के वहाँ जा रहा था तो ठोकर लगने से गिर जाने के कारण छोटक्के के सिर में चोट आ गई थी। अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमति उर्फ सुखदेवी ने न तो लाठी डंडे व बांके से मेरे भाई व भतीजे को मारा पीटा था और न ही उन्हें गंदी गंदी गाली दी थी, न जान से मारने की धमकी दी थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने किसी और के द्वारा लिखी गयी तहरीर पर अपना दस्तखत करके थाने पर दे दिया था। दारोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। "

11. उक्त साक्षी से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इनकार करते हुए कहा कि दरोगा ने मेरे बयान कैसे लिखा है, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 15/12/2022 को रात 8 बजे के लगभग मुल्जिमान ने मेरे भाई छोटके व भतीजे जीतू को लाठी डंडा व बांका से मारा पीटा हो व उन्हें गंदी गंदी गाली दी हों व जान से मारने की धमकी दी हो। मेरी मुल्जिमान से सुलाह हो गई है। यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण मैं सही बात नहीं बता रहा हूं।"

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 2 छोटक्के** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि "मैं खेती बाड़ी करता हूँ। घटना आज से लगभग 4 वर्ष पहले की है। ठंडी का महीना था। रात के करीब 8 बजे का समय था। मेरे लड़के जीतू को गिरने के कारण कान के पास चोट आ गई थी। उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए जब मैं बाहर गया तो अँधेरे में ठोकर लगने से मैं गिर गया था और मेरा सिर फट गया था। अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती उर्फ सुखदेवी ने न तो लाठी–डंडा, बांका से मुझे व मेरे लड़के को मार–पीट कर घायल किया था न हमें गंदी गंदी गाली दी थी और न ही हमें जान से मारने की धमकी दी थी। मुकदमा मेरे लड़के ने लिखा था। तब हमारी डॉक्ट्री थाने द्वारा कराई गई थी। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। "

13. उक्त साक्षी से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इनकार करते हुए कहा कि दरोगा ने मेरे बयान कैसे लिखा है, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 15/12/2022 को रात 8 बजे के लगभग मुल्जिमान ने मुझे, व मेरे बेटे को लाठी–डंडा व बांका से मारा पीटा हो व उन्हें गंदी गंदी गाली दी हों व जान से मारने की धमकी दी हो। मेरी मुल्जिमान से सुलाह हो गई है। यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण मैं सही बात नहीं बता रहा हूं।"

14. उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "मैं सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती को जानता पहचानता हूं। ये लोग मेरे पड़ोसी हैं। इन लोगों ने न मुझे मारा पीटा था, न ही गंदी गंदी गाली दी थी, न ही जान माल की धमकी दी थी। इन लोगों ने मेरे, मैकू, जीतू के साथ वह जीत के साथ कोई घटना कार्यित नहीं की थी।"

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 3 जीतू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि "दिनांक 15/12/2022 को शाम करीब 8 बजे मेरे गाँव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसमें अचानक किसी ने कांच की बोतलें फेंक कर वहां हड़बड़ी मचा दी। जैसे ही मैं देखने पहुंचा वहां भगदड़ मच गई। इसमें धक्का लगने से मैं जमीन पर

गिर गया, जमीन पर पड़े कांच से मेरा मेरे बाएं कान में कटकर घाव हो गया। लोगों के कहने पर मेरे बड़े पापा मैकू ने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। मेरे साथ अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास, ज्ञानमती उर्फ सुखदेवी ने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी। काँच की बोतल किसने फेंकी थी, मैं नहीं बता सकता।" साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16. उक्त साक्षी से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "साक्षी को 161 CRPC का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि विपक्षीगण के साथ सुलह हो चुका है, जोकि मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं। यह कहना सही है कि मेरा डॉक्टरी परीक्षण पुलिस के द्वारा गोंदलामऊ, सी.एच.सी. में और एक्स–रे जिला अस्पताल सीतापुर में हुआ था। यह कहना सही है कि आज मैं जो बयान दे रहा हूँ बिना किसी भय, दबाव या लालच के दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि समझौते के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।"

17. उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "मुल्जिम, सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती, मेरे गाँव के हैं। मैं इनको जानता पहचानता हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ न ही कोई मारपीट और ना ही गंदी गंदी गालियां दी थीं तथा न ही जान माल की धमकी दी और न ही किसी धारदार हथियार से हमला किया। आज जो बयान दे रहा हूँ यही मेरा सही बयान है। "

<u>निष्कर्ष</u>

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथानक तथा साक्षी **पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3** के साक्ष्य के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपना आरोप संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा।

19. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू० 1 मैकू** ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "रात के लगभग 8 बजे थे, मेरा भतीजा जीतू घर के बाहर किसी से बात कर रहा था, अंधेरा हो गया था, गाँव के कुछ लड़के दौड़ रहे थे। उन्हीं में से किसी का धक्का जीतू को लग गया जिससे जीतू नीचे शीशे के टुकड़े पर गिर गया, जिससे उसके कान के पास चोट आ गई थी। उसे बचाने के लिए जब मेरा भाई छोटक्के वहाँ जा रहा था तो ठोकर लगने से गिर जाने के कारण छोटक्के के सिर में चोट आ गई थी। अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमति उर्फ सुखदेवी ने न तो लाठी डंडे व बांके से मेरे भाई व भतीजे को मारा पीटा था और न ही उन्हें गंदी गंदी गाली दी थी, न जान से मारने की धमकी दी थी।" इस प्रकार साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि धक्का लगकर शीशे के टुकड़े पर गिर जाने के कारण उसके भतीजे जीतू को चोटें आयीं थी। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है व अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता पुष्ट व प्रमाणित नहीं होती है।"

20. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 छोटक्के** ने भी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "घटना आज से लगभग 4 वर्ष पहले की है। ठंडी का महीना था। रात के करीब 8 बजे का समय था। मेरे लड़के जीतू को गिरने के कारण कान के पास चोट आ गई थी। उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए जब मैं बाहर गया तो अँधेरे में ठोकर लगने से मैं गिर गया था और मेरा सिर फट गया था। अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती उर्फ सुखदेवी ने न तो लाठी–डंडा, बांका से मुझे व मेरे लड़के को मार– पीट कर घायल किया था न हमें गंदी गंदी गाली दी थी और न ही हमें

जान से मारने की धमकी दी थी।" इस प्रकार साक्षी ने अंधेरे में ठोकर लग जाने से गिर जाने के कारण चोटें आने का कथन किया है। साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी, जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "मैं सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती को जानता पहचानता हूं। ये लोग मेरे पड़ोसी हैं। इन लोगों ने न मुझे मारा पीटा था, न ही गंदी गंदी गाली दी थी, न ही जान माल की धमकी दी थी। इन लोगों ने मेरे साथ मैकू, जीतू के साथ वह जीत के साथ कोई घटना कार्यित नहीं की थी।" इस प्रकार साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ, मैकू व जीतू के साथ कोई घटना कारित करने से इनकार किया गया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है व अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

21. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी०डब्लू० 3 जीतू** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि "दिनांक 15/12/2022 को शाम करीब 8 बजे मेरे गाँव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसमें अचानक किसी ने कांच की बोतलें फेंक कर वहां हड़बड़ी मचा दी। जैसे ही मैं देखने पहुंचा वहां भगदड़ मच गई। इसमें धक्का लगने से मैं जमीन पर गिर गया, जमीन पर पड़े कांच से मेरा मेरे बाएं कान में कटकर घाव हो गया। लोगों के कहने पर मेरे बड़े पापा मैकू ने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। मेरे साथ अभियुक्तगण सुखदेव, रामविलास, ज्ञानमती उर्फ सुखदेवी ने कोई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी।" साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की जिसमें साक्षी ने कथन किया कि "मुल्जिम, सुखदेव, रामविलास व ज्ञानमती, मेरे गाँव के हैं। मैं इनको जानता पहचानता हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ न ही कोई मारपीट और ना ही गंदी गंदी गालियां दी थीं तथा न ही जान माल की धमकी दी और न ही किसी धारदार हथियार से हमला किया।" इस प्रकार इस साक्षी ने साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन कथानक के अनुसार कोई भी घटना कारित करने से इनकार किया गया है व भगदड़ मच जाने के कारण चोटिल होना स्वीकार किया गया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की सत्यता व विश्वसनीयता पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है।

22. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। साक्षी **पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3** को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों से अभियोजन कथानक संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

24. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपना आरोप संदेह के परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों से इंकार करते हुये अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से घटना सिद्ध नहीं होती है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है।

26. विधि व्यवस्था "**Veer Singh v/s State of U.P. (2004)2 SCC 455 "** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, "SC held that in a criminal tiral it is the quality of Evidence and not the quantity of Evidence which matters. Sec 134 of the Evidence act does not require any particular number of witnesses to prove any fact."

27. विधि व्यवस्था " **Dahyabhai Chaggan bhai Thakker v/s State of Gujrat 1964 AIR 1563** " में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, "Supreme Court stated that the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the accused had committed the offence with requisite, mensrea and the burden of proving tha always rest on the prosecution from the beginning to the end of the trial. "

28. विधि व्यवस्था " **2014 SCC (Criminal) 678 Vinod v/s State of Karnataka** में यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि– इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था "अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, केवल इसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। विधिक निर्णय सर्वथा तथ्यों व विधि के प्रावधानों पर आधारित होना चाहिए, न कि कतिपय संदेहास्पद एवं नैतिक परिस्थितियों पर "।

29. इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एच०पी० एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओमप्रकाश ए०आई०आर० 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाएगा। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाएगा।

30. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपने कथानक को सभी संदेह से परे साबित करे। यदि किसी प्रकरण में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना पूर्णरूपेण संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः संदेह का लाभ उपरोक्त अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत है।

31. उपरोक्त सम्प्रेक्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, थाना– संदना, जिला सीतापुर को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः संदेह का लाभ देकर अभियुक्तगण को आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०द०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

32. अभियुक्तगण **सुखदेव प्रसाद, राम बिलास, ज्ञानमती उर्फ सुखेदेई** को मु०अ०सं०– 658/2022 अन्तर्गत धारा– 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, थाना– संदना, जिला सीतापुर के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके निजी बन्धपत्र निरस्त व प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

33. अभियुक्तगण द्वारा दाखिल जमानतनामा अंतर्गत धारा 437 ए अग्रिम 6 माह तक इस आशय के साथ प्रभावित रहेंगे कि यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति

अपेक्षित की जाती है वे माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, छः माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त उपरोक्त बंधपत्र व जमानतनामें स्वतः उन्मोचित हो जायेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-25.07.2026

(अंशुमान विक्रम सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट नं०-07/जे०एम०,
सीतापुर।
JO CODE:UP04821

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 25.07.2026

(अंशुमान विक्रम सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट नं०-07/जे०एम०,
सीतापुर।
JO CODE:UP04821